राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–8)

(दूरभाष 0141–2227229, Email-pdme2k_rdd@yahoo.com)

क्रमांक 7(185)ग्रावि/अनु–8/2014/ दिनांक: 07/10/2015

विडियो कॉन्फ्रेन्स कार्यवाही विवरण

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29 सितम्बर 2015 को शासन सचिवालय के मुख्य भवन स्थित एनआईसी के विडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में जिला परिषद के उपस्थित मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं प्रभारी अधिकारियों के साथ जिलेवार एवं योजनावार समीक्षा की गई जिसमें निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गयेः–

1. ग्रामीण विकास की योजनाऐं

1 महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ विभाग की अन्य योजनाओं में कन्वर्जेन्स के संबंध में ग्राम सेवक व सरपंचों के प्रतिनिधि मण्डल राज्य स्तर पर मुलाकात की थी जिसमें उनको आ रही कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किये गये है जिसमें एक लाख रूपये तक के कार्यो की बिना टेक्नीकल सैंशन की स्वीकृति के अधिकार दिये गये तथा जिला स्तर पर तुरंत दर निर्धारण में उनके प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया है।

2 जिला स्तर पर नियम अनुरूप सरपंचों के साथ डायलोग (वार्ता) हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को प्रयास करना चाहिए जिससे कि उनको आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों का समाधान किया जा सके। विशेष तौर पर जयपुर जिले में इसका भारी अभाव देखा गया है। अतः सभी जिले ऐसा करेंगे।

3 सभी जिले कन्वर्जेन्स के संबंध में सरपंचों को सही जानकारी देने हेतु कार्यशाला/बैठक आयोजित कर सकते है।

4 जिन जिलों/खण्ड/ग्राम पंचायतों में कार्य स्वीकृत नहीं किया जा रहा है या कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है वहां पर प्रावधानों के अनुरूप कमेठी बनाकर कार्य का कियान्वयन किया जाए तथा उनका पूरा प्रचार–प्रसार किया जाए और संबंधित सरपंच एवं ग्राम सेवक को दण्डित किया जाये।

5 महात्मा गांधी नरेगा योजना में स्किल (Skilled) व अनस्किल्ड (Unskilled)का प्रावधान है। जिलों में हमेशा मांग होती रही है लेकिन कुछ कार्य ऐसे है जो सेमी

स्किल्ड के होते है। अतः आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा द्वारा लैबर विभाग के साथ आवश्यक विचार विमर्श कर सेमी स्किल लैबर को परिभाषित किया जाये व इस संबंध में आवश्यक आदेश जारी कर जिलों में लागू करायें।

6 कन्वर्जेन्स के बारे में पूरा प्रचार प्रसार व प्रशिक्षण हेतु आने वाले खर्चे को प्रशासनिक मद से लिया जाए।

7 आईएवाई योजना में महात्मा गांधी नरेगा योजना से कन्वर्जेन्स करने पर लैबर के साथ साथ 40 प्रतिशत मैटेरियल राशि के प्रावधान के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये जाए।

8 आईएवाई योजना में स्वप्रेरक लगाने के निर्देश राज्य स्तर से दिये गये जिन जिलों द्वारा 50 आवासों पर एक प्रेरक नहीं लगाया गया है उन जिलों को नोटिस जारी किये जाए।

9 ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में सबसे कम स्वीकृति जारी करने वाले जिलों में प्रतापगढ व उदयपुर में दिनांक 30.09.2015 को टीम भेजकर आवश्यक जांच करायी जाए एवं दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करायी जाए। इसी प्रकार महात्मा गांधी नरेगा में बाडमेर जिला सबसे पिछडा है अतः वहां पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के अधिकारियों की विशेष टीम भेजकर जांच करायी जाए।

10 डांग, मगरा, मेवात में राज्य स्तर पर रोकी गयी राशि की स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों का तुरंत निस्तारण किया जाए।

11 सभी योजनाओं में 150 प्रतिशत तक स्वीकृति जारी करायी जाए।

12 आगामी विडियों कॉन्फ्रेंस से 2 दिवस पहले सभी योजना का महात्मा गांधी नरेगा योजना सहित समीक्षा नोट तैयार कर प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज को प्रस्तुत किया जाए।

13 महात्मा गांधी नरेगा योजना में अनुमत कार्य जो कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अन्य योजनाओं में अनुमत है उनको महात्मा गांधी नरेगा योजना से कन्वर्जेन्स किया जाए।

14 प्रधानगण/सरपंचगण/ग्राम सेवकों का महात्मा गांधी नरेगा योजना से कन्वर्जेन्स हेतु प्रशिक्षण जयपुर में आयोजित किया जाए जिसमें आवास योजना में 90 मानव दिवस के साथ साथ मजदूरी का 40 प्रतिशत सामग्री मद से दिये जाने के प्रावधान से अवगत कराया जाए।

15 जिला कार्यक्रम समन्वयक/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जिला परिषद स्तर पर नये कार्यो को अनुमोदित करने हेतु पूरक प्लान बनाने के निर्देश दिये गये।

16 सभी परियोजना अधिकारी (योजना प्रभारी) को अगले सप्ताह क्षेत्र भ्रमण कर स्वीकृतियॉ जारी करवाने एवं कार्यो को चालू करवाने के निर्देश दिये गये।

17 जिला करौली, बांरा एवं सीकर में कन्वर्जेन्स की समस्या का समाधान करायें।

18 डूँगरपुर मॉडल को अपनाने हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजना से विडियों कॉन्फ्रेस करने के निर्देश दिये गये।

19 आवास योजनान्तर्गत प्रतापगढ जिले में अवशेष राशि 17.00 करोड को अन्य जिलों को ट्रांसफर किया जाए।

20 डूँगरपुर जिले द्वारा महात्मा गांधी नरेगा में लैबर बजट का बहुत कम उपयोग हुआ है। लैबर बजट का उपयोग करना सुनिश्चित किया जाए।

2. पंचायतीराज विभाग

1. जल ग्रहण विभाग से प्रभारी अधिकारी द्वारा बतलाया गया कि भारत सरकार से योजनाओं के बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र हेतु लगातार स्मरण पत्र प्राप्त हो रहे है। अतः अवशेष राशि का शत–प्रतिशत उपयोग करते हुए बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र भिजवाये ताकि राशि का समायोजन किया जा सके।
2. हनुमानगढ जिले में सांडशाला का गलत निर्माण किये जाने का पेरा बना हुआ है अतः वसूली की कार्यवाही की जावे तथा गलत निर्माण में उत्तरदायित्व निर्धारण कर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत करावे।
3. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज द्वारा पंचायत दिवस कार्यक्रम ग्राम पंचायतो में करीब–करीब नही होने को गंभीरता से लेते हुए निर्देशित किया कि पंचायत दिवस कार्यक्रम एक सतत प्रकिया है। अतः जब तक आपको पंचायत दिवस कार्यक्रम को बन्द करने की सूचना नहीं मिले तब तक इसे निर्धारित कार्यक्रम बनाकर आयोजित करावे।
4. शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय ने मिड डे मिल के अन्तर्गत बांरा, भरतपुर, भीलवाड़ा, झालावाड़, जयपुर से अगस्त की सूचना प्राप्त नहीं होने पर सूचना समय पर भिजवाने तथा अजमेर, चुरू, बांरा में खाद्यान्न का उठाव कम होने पर शत–प्रतिशत उठाव करने हेतुं निर्देशित किया।
5. मिड डे मिल योजना के तहत रसोईघर के निर्माण कार्य में बीकानेर, सिरोही, झालावाड़, कोटा की कम प्रगति को बढ़ाने एवं गैस कनेक्शन में अलवर, दौसा, बीकानेर, सिरोही, करौली में सभी विद्यालयों में गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये।
6. पंचायती राज विभाग की समस्त योजनाओं में कुल उपलब्ध राशि 1931.83 करोड़ के विरूद्ध अगस्त–2015 तक 1021.00 करोड़ की राशि का व्यय हुआ है जो कि 52.85 प्रतिशत है। राज्य में सबसे कम प्रगति वाले 8 जिले यथा जयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ, हनुमानगढ, करौली, बीकानेर, नागौर एवं सीकर के सभी सीईओ/एसीईओ को निर्देशित किया कि माह अक्टूबर 2015 में शत–प्रतिशत प्रगति अर्जित करें।
7. उपरोक्त 8 जिलो में सभी योजनाओं यथा तेरहवां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग (चतुर्थ), निर्बन्ध राशि योजना, क्षतिपूर्ति एवं समानुदेशन, विलेज मास्टर प्लान, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिरण अभियान, जिला नवाचार निधि तथा किसान सेवा केन्द्र एवं विलेज नालेज सेंटर में भी प्रगति कम ही थी। प्रगति कम होने पर शासन सचिव एवं

आयुक्त द्वारा निर्देशित किया कि 15 दिवस पश्चात् इन सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा पुनः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा की जायेगी।

8. स्वच्छ भारत मिशन में उदयपुर संभाग के सभी जिले यथा प्रतापगढ़, राजसमन्द, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर की कम प्रगति में सुधार लाने हेतु निर्देशित किया। यह भी निर्देश दिये गये कि अब जिले में ऐसी ग्राम पंचायते चिहिन्त करे जिसमें कम से कम शौचालय बनाने है उनमे शत प्रतिशत शौचालय बनाया जा कर उन्हे (ODF) किया जा सके। शौचालय निर्माण की फोटो जहां अपलोड नहीं की जा रहीं है वो सभी जिले फोटो अपलोड करावे। जो ग्राम पंचायते ओडीएफ हो गई है उनका सत्यापन कर सूचना भिजवाये।
9. 2 अक्टूबर 2015 को गांधी जयन्ती पर आयोजित ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं में स्वच्छ भारत मिशन का ऐजेण्डा रखकर आगामी वर्ष के लिए कार्य योजना बनावे।
10. न्यायालय प्रकरणों के संबंध में शासन सचिव महोदय ने सभी सीईओ/एसीईओ का निर्देशित किया कि अवमानना प्रकरणों का जवाब देकर फाइल करावे। रिटों में लम्बित प्रकरणों का जवाब दिया जावे।
11. विधान सभा की प्रश्न सं. 1660, 1664, 6864 उदयपुर, प्रश्न सं. 485, 4787 जयपुर, प्रश्न सं. 3377 राजसमन्द, प्रश्न सं. 6785 पाली, प्रश्न सं.1499 अजमेर, प्रश्न सं. 1541, 3/2015 गंगानगर, आश्वासन प्रश्न सं.3/212 जोधपुर, आश्वासन प्रश्न सं. 16/2014 जयपुर, प्रश्न सं. 1379 कोटा एवं प्रश्न सं. 1521 सीकर आदि जिलों से जवाब प्राप्त होना शेष है। अतः शासन सचिव महोदय ने निर्देशित किया कि विधान सभा प्रश्नों का जवाब 15 दिवस में भिजवाये।
12. शासन सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया कि जिन जिलों में नाबार्ड के तहत आंगन बाड़ी भवन निर्माण की राशि शेष है उसे महिला एवं बाल विकास विभाग को डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से शीघ्र भिजवावे। तथा राजसमन्द, कोटा, पाली एवं जोधपुर जिलों की कम प्रगति को बढाने हेतु भी निर्देशित किया गया।
13. सांख्यिकी कार्यालय के भवन निर्माण के अन्तर्गत जिन जिलो में भवन निर्माण का कार्य नहीं हो पाया है उन जिलो द्वारा उक्त राशि वापस निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को भिजवाने के निर्देश दिये गये।
14. लोकायुक्त के प्रकरणों का शीघ्र निपटारा करे तथा जनप्रतिनिधियों के विरूद्ध लम्बित प्रकरणों का संभागीय आयुक्तों के माध्यम से निस्तारण करवाये।
15. प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया कि ग्रामीण कार्य निर्देशिका की गाइड लाईन आपको प्रेषित की जा चुकी है। इसके संबंध में आपके कोई सुझाव हो तो भिजवावे। अधीक्षण अभियंता श्री माहेश्वरी को दिनांक 14–15 अक्टूबर 2015 को निर्देशिका के संबंध में सभी जिलों में प्रशिक्षण आयोजित करने के आदेश जारी करने